प्रार्थीगण

बनाम

1. सतीश पिता स्व. श्री मनीलाल जाति ब्राह्मण निवासी–कटेवडी तहसील–खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.) हाल निवासी–46, न्यू मार्केट मुल्लातलाई, जिला उदयपुर (राज.)
2. कुमारी संगीता पुत्री स्व. श्री मनीलाल जाति ब्राह्मण, आयु–नाबालिग जरिये बविलायत भाई श्री राजेश निवासी – कटेवडी, तह. खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.) हाल निवासी 46, न्यू मार्केट मुल्लातलाई, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
4. बंशी लाल पिता शंकर लाल जाति मीणा आयु–41 वर्ष निवासी–पडीयाकाड तह. खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

उपस्थिति:–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री मन्नाराम एडवोकेट
2. अप्रार्थी की ओर से– अप्रार्थी राजेश स्वंय उपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 26.04.2013

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी राजेश उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय हाजा में पेश किया हुआ है उक्त वाद के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा 212 आर.टी. एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम झुसावाडा पटवार हल्का बडला तहसील खेरवाडा मे आ.ख.न. 449 रकबा 0.54 हेक्टर स्थित है जिसे प्रार्थीगण ने अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता मणीलाल पिता मुलचन्द ब्राह्मण से 12000/– रूपये में दिनांक 23.05.1989 को पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की थी। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी कहा जायेगा। प्रार्थीगण का खरीद की दिनांक से ही आ.ख.न. 449 रकबा 0.54 हेक्टर पर निर्विध्न कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु प्रार्थीगण विवादित आराजी का नामान्तरण अपने नाम नही करा पाये, जिसका फायदा उठाकर विक्रेता मणीलाल की मृत्यु के बाद विरासत से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में आ जाने से, अप्रार्थी 1 व 2 विवादित आराजी को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थी ने विवादित आराजी के चारो ओर थूअर की बाड लगा रखी है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा से समन जारी होकर, अप्रार्थी 1 व 2 को दिनांक 20.10.2009 को प्राप्त हुए, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण 1 व 2 ने विवादित आराजी दिनांक 03.10.2009 को अप्रार्थी क्रम 4 बंशीलाल पिता शंकरलाल मीणा निवासी पडियाकाड को विक्रय कर दी तथा दिनांक 23.03.2009 को विक्रय पत्र का पंजीयन अप्रार्थी क्रम 4 के पक्ष में करावा दिया। अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा किया गया विक्रय, प्रार्थीगण के विरूद्व अवैध होकर शून्य है। विवादित आराजी के दिनांक 23.05.1989 को विक्रय के बाद से अप्रार्थी 1 व 2 को कोई कानूनी हक एवं अधिकार प्राप्त नही था कि वह विवादित आराजी का विक्रय निष्पादित करे। विवादित आराजी पर दिनांक 23.05.1989 से आदिनांक तक कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है।

बनाम

1. राजेश पिता स्व. श्री मणीलाल जाति ब्राह्मण निवासी–कटेवडी तहसील–खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.) हाल निवासी–46, न्यू मार्केट मुल्लातलाई, जिला उदयपुर (राज.)
2. कुमारी [illegible] पुत्री स्व. श्री मणीलाल जाति ब्राह्मण, आयु–नाबालिग जरिये वलियायत भाई श्री राजेश निवासी – कटेवडी, तह. खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.) हाल निवासी 46, न्यू मार्केट मुल्लातलाई, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
4. बंशी लाल पिता शंकर लाल जाति मीणा आयु–41 वर्ष निवासी–पडीयाकाड तह. खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

उपस्थिति–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री मन्नाराम एडवोकेट
2. अप्रार्थी की ओर से– अप्रार्थी राजेश स्वंय उपस्थित

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 26.04.2013

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी राजेश उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय में पेश किया हुआ है उक्त वाद के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु 212 आर.टी. एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में पेश किया। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम झुसावाडा पटवार हल्का बडला तहसील खेरवाडा आ.ख.न. 449 रकबा 0.54 हेक्टर स्थित है जिसे प्रार्थीगण ने अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के पिता मणीलाल पिता मुल ब्राह्मण से 12000/– रूपये में दिनांक 23.05.1989 को पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद की थी। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी कहा जायेगा। प्रार्थीगण का खरीद की दिनांक से ही आ.ख.न. 449 रकबा 0 हेक्टर पर निर्विघ्न कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु प्रार्थीगण विवादित आराजी का नामान्तरण अपने नाम नही क पाए, जिसका फायदा उठाकर विक्रेता मणीलाल की मृत्यु के बाद विरासत से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का नाम राज रिकार्ड में आ जाने से, अप्रार्थी 1 व 2 विवादित आराजी को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा है। प्रार्थी विवादित आराजी के चारो ओर थूअर की बाड लगा रखी है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हाजा से स जारी होकर, अप्रार्थी 1 व 2 को दिनांक 20.10.2009 को प्राप्त हुए, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण 1 व 2 ने विवादि आराजी दिनांक 03.10.2009 को अप्रार्थी क्रम 4 बंशीलाल पिता शंकरलाल मीणा निवासी पडियाकाड को विक्रय कर तथा दिनांक 23.03.2009 को विक्रय पत्र का पंजीयन अप्रार्थी क्रम 4 के पक्ष में करावा दिया। अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वा किया गया विक्रय, प्रार्थीगण के विरूद्व अवैध होकर शून्य है। विवादित आराजी के दिनांक 23.05.1989 को विक्रय बाद से अप्रार्थी 1 व 2 को कोई कानूनी हक एवं अधिकार प्राप्त नही था कि वह विवादित आराजी का विक्रय निष्पादि करें। विवादित आराजी पर दिनांक 23.05.1989 से आदिनांक तक कभी भी प्रार्थीगण का कब्जा कारत नही रहा है।

अतः वह अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा किये गये विक्रय को शून्य घोषित कराने के अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में मूल वाद में निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना फरमावे, कि वह प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कृषि कार्य में किसी प्रकार की दखलदाजी नही करे। यदि अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की दखलदाजी की तो अपूर्ण क्षति प्रार्थीगण को होगी। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कथन किया है कि प्रार्थीगण [illegible] साबित करे की आ.ख.न. 449 रकबा 0.54 हेक्टर भूमि अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता मणीलाल ने दिनांक 23.05.1989 को 12000/-रूपये में विक्रय की थी। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही रहा पहले विवादित आराजी पर अप्रार्थी 1 व 2 के पिता मणीलाल का कब्जा काश्त था एवं उनके मरने के बाद 1 व 2 का कब्जा चला आ रहा था जिन्होने उक्त आराजी अप्रार्थी क्रम 4 को 200, 000/- में विक्रय कर कब्जा सुपर्द कर दिया है। विवादित आराजी पर वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 4 का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने 23 वर्षो से विवादित आराजी को अपने नाम खाते क्यो नही करवाई। प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार धारा 63 (iv) आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत क्लेम करते है तो भी [illegible] वर्षो तक कब्जा नही रहने से, प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके है। अब प्रार्थी को पूर्व के विक्रय पत्र के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है। दिनांक 23.05.1989 का विक्रय पत्र फर्जी [illegible] किया गया है। प्रार्थीगण ने कब्जेयाबी का कोई वाद पेश नही किया, इस कारण से यह वाद एवं प्रार्थना पत्र [illegible] नही है। अप्रार्थीगण 1 व 2 ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा होने से विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 4 को [illegible] विक्रय की एवं कब्जा सुपर्द किया है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र को वह शून्य व [illegible] कराने के अधिकारी नही है। जब तक विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही करवाया जाता है [illegible] वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अत' प्रथम पृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में [illegible] अप्रार्थी के पक्ष में है अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया [illegible]

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनो के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य मे विक्रय पत्र तादादी [illegible]/- दिनांक 23.05.1989, जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 ग्राम झुसावाडा खाता संख्या 56, नक्सा ट्रेस, विक्रय [illegible] तादादी 200,000/- दिनांक 23.10.2009, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 ग्राम झुसावाडा, नकल जमाबन्दी [illegible] 2052 से 2055 ग्राम झुसावाडा, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 ग्राम झुसावाडा एवं निर्णय [illegible] संख्या 1/10 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सम्पति धारा 151 सी.पी.सी. न्यायालय अपर न्यायधीश फास्ट [illegible] संख्या 3 उदयपुर मुख्यालय सलुम्बर पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मौखिक साक्ष्य मे कब्जे बाबत् रतन [illegible] पटेल का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनो के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य मे कोई साक्ष्य पेश नही [illegible]

[illegible] विद्वान अभिभाषक, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी [illegible] को सुना। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने बहस [illegible] किया है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण ने [illegible] में क्रय की है तभी से प्रार्थी का कब्जा कास्त चला आ रहा [illegible] विवादित आराजी से सम्बंधित एक वाद [illegible] है। माननीय अपर जिला न्यायधीश फास्ट

... प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें कथन किया है कि
... [illegible] आराजी ... 1.54 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण 1 व 2 के पिता मनीलाल ने दिनांक 23
... /– रूपये में विक्रय की थी। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही रहा पहले
आराजी पर अप्रार्थी 1 व 2 के पिता मनीलाल का कब्जा काश्त था एवं उनके मरने के बाद 1 व 2 का कब्जा
... जिन्होंने उक्त आराजी अप्रार्थी क्रम 4 को 200, 000/– में विक्रय कर कब्जा सुपर्द कर दिया है।
आराजी पर वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 4 का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने 23 वर्षो से विवादित आराजी
... क्यों नहीं करवाई। प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार धारा 63 (iv) आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत क्लेम करते
... वर्ष तक कब्जा नही रहने से, प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके है। अब प्रार्थी को
विक्रय पत्र के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है। दिनांक 23.05.1989 का विक्रय प
... किया गया है। प्रार्थीगण ने कब्जेयाबी का कोई वाद पेश नही किया, इस कारण से यह वाद एवं प्रार्थ
... नही है। अप्रार्थीगण 1 व 2 ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा होने से विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम
नियमानुसार विक्रय की एवं कब्जा सुपर्द किया है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र को वह
... घोषित कराने के अधिकारी नही है। जब तक विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही करवाया ज
यह वाद एवं प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अत' प्रथम पृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के
नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में है अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज
जावे।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनो के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य मे विक्रय पत्र त
...000/– दिनांक 23.05.1989, जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 ग्राम झुसावाडा खाता संख्या 56, नक्सा ट्रेस,
... तादादी 200,000/– दिनांक 23.10.2009, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 ग्राम झुसावाडा, नकल जम
सम्वत् 2052 से 2055 ग्राम झुसावाडा, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 ग्राम झुसावाडा एवं
प्रकरण संख्या 1/10 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सम्पति धारा 151 सी.पी.सी. न्यायालय अपर न्यायधीश
... क्रम संख्या 3 उदयपुर मुख्यालय सलुम्बर पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मौखिक साक्ष्य मे कब्जे बाबत
... पिता हीरजी पटेल का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनो के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य मे कोई साक्ष्य पेश
किया।

हमने विद्वान अभिभाषक, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी स्वंय राजेश को सुना। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने
कथन किया है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण ने 1989 में क्रय की है तभी से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ
... उक्त विवादित आराजी से सम्बंधित एक वाद सिविल कोर्ट में भी चला है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश
... क्रम संख्या 3 उदयपुर मुख्यालय सलूम्बर ने निर्णय दिनांक 11.01.2011 में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
... करते हुएं विवादित आराजी को अन्तरित नही करने एवं स्वामित्व बाबत् यथास्थिति बनाऐ रखने का आ
... किया है। अतः उक्त प्रकरण मे एतदनुसार निर्णय पारित किया जावे। अप्रार्थी राजेश ने वक्त बहस कथन कि
... विवादित आराजी के बारे में पूर्व में विक्रय किये जाने की कोई जानकारी उसे नही थी। यदि उसे जानकारी होती
... विक्रय नही करता।

... अधिकारी
... जिला–उदयपुर (राज.)

हमने विद्वान अभिभाषक, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी राजेश की उपर्युक्त बहस सुनी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया ।

विवादित आराजी ख.न. 449 रकबा 0.54 हेक्टर ग्राम झुसावाडा विक्रेता मणीलाल पिता मूलचन्द ब्राहमण द्वारा जीवनलाल, [illegible] पिता हकरा मीणा निवासी पोगरकला को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23.5.1989 में 12000/– मे विक्रय की तथा विक्रय पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि बिकाउ शुद्धा बीड पर आप द्वितीय पक्षीयगणों को कब्जा मय हक [illegible] से सुपूर्द कर दिया है। इस प्रकार विवादित आराजी पर विक्रय पत्र के निष्पादन की दिनांक 23.05.1989 से स्वामित्व प्रार्थीगण का हो गया है। नामान्तरण नही खुलने से प्रार्थीगण का विधिक स्वामित्व समाप्त नही हो जाता है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी 4 के पक्ष में किया गया विक्रय अप्रार्थी क्रम 4 के विवादित आराजी में कोई हक सृजित नही करता है। सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 48 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि " जहा किसी व्यक्ति द्वारा [illegible] समय पर अन्तरण द्वारा एक ही स्थावर सम्पत्ति में या पर अधिकार सृष्ट किया जाना तात्पर्यित है ओर ऐसे अधिकार सब अपने पूरे विस्तार तक एक साथ अस्तित्व युक्त या प्रयुक्त नही हो सकते वहा पश्चात् सृष्ट हर अधिकार [illegible] अन्तरितीयों को बाध्य करने वाली कोई विशेष संविदा या आरक्षण न हो तो पूर्व सृष्ट अधिकारो के अध्ययधीन [illegible] माननीय् न्यायालय राजस्व मण्डल ने आर.आर.डी. 1979 केरीया बनाम सावलिया के प्रकरण में पेज नम्बर 1, के [illegible] नम्बर 5, में यह मत प्रकट किया है कि " In these circumstances the second sale deed executed in favour of respondents nos. 3 and 5 was null and void and cannot be take cognizance of. In this connection attention may also be invited to the provisions of section 48 of the Transfer of property Act which supulates that where a person purports to create by transfer at different times rights in or over the same immovable property and such rights cannot at all exist or be exerciseed to their full extent together each later created right shall in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject to the rights previously created" Therefore respondents Nos 3 and 5 cannot be deemed to have acquired any right [illegible] in respect of the suit land by virtue of the second sale deed executed in their favour by responsent [illegible] " इस प्रकार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय की रूह में द्वितीय विक्रय विलेख दिनांक 23.10.2009 [illegible] अप्रार्थी क्रम 4 के कोई अधिकार सृजित नही होते है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के [illegible] अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। इसी विवादित आराजीयात एवं अन्य आराजीयात सहित आदेश 39 नियम [illegible] 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत विचारधीन प्रकारण में माननीय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक क्रम [illegible] 3 उदयपुर मुख्यालय सलुम्बर के निर्णय दिनांक 11.01.2011 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1/10 में प्रार्थीगण का [illegible] पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए " विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 3 बंशीलाल आत्मज शंकरलाल जाति [illegible] आयु 40 वर्ष निवासी पडियाकाड तहसील खेरवाडा, मूल वाद के विचारण काल के दोरान अन्य किसी व्यक्ति को [illegible] न करे स्वामित्व बाबत् यथास्थिति बनाये रखे का आदेश पारित किया है। अतः निर्णय में किसी प्रकार [illegible] न हो इस हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी क्रम 4 बंशीलाल पिता [illegible] को मूल वाद प्रकरण संख्या 41/2009 में अन्तिम निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता [illegible] अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 4 विवादित आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 0.54 हेक्टर ग्राम झुसावाडा को रहन, विक्रय, [illegible] या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित नही करे ना खुर्द–बुर्द करे तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये [illegible]

निर्णय आज दिनांक 26.04.2013 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने [illegible]

[illegible] नम्बर 5, में यह मत प्रकट किया है कि " In these circumstances the second sale deed executed in fav[illegible] respondets nos. 3 and 5 was null and void and cannot be take cognizance of. In this connection atte[illegible] may also be invited to the provisions of section 48 of the Transfer of property Act which supulate[illegible] where a person purports to create by transfer at different times rights in or over the same immo[illegible] property and such rights cannot at all exist or be exerciseed to their full extent together each later cr[illegible] right shall in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject t[illegible] rights previously created" Therefore respondents Nos 3 and 5 cannot be deemed to have acquired any [illegible] title in respect of the suit land by virtue of the second sale deed executed in their favour by respon[illegible] No.1 " इस प्रकार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय की रूह में द्वितीय विक्रय विलेख दिनांक 23.10[illegible] से अप्रार्थी क्रम 4 के कोई अधिकार सृजित नही होते है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीग[illegible] पक्ष में है, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। इसी विवादित आराजीयात एवं अन्य आराजीयात सहित आदेश 39 [illegible] 1 व 2 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत विचारधीन प्रकारण में माननीय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक [illegible] संख्या 3 उदयपुर मुख्यालय सलुम्बर के निर्णय दिनांक 11.01.2011 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1/10 में प्रार्थीगण [illegible] प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए " विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या 3 बंशीलाल आत्मज शंकरलाल [illegible] मीणा आयु 41 वर्ष निवासी पडियाकाड तहसील खेरवाडा, मूल वाद के विचारण काल के दोरान अन्य किसी व्यक्ति [illegible] अन्तरित व्ययनित न करे स्वामित्व बाबत् यथास्थिति बनाये रखे का आदेश पारित किया है। अतः निर्णय में किसी प्र[illegible] का विरोधाभास न हो इस हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी क्रम 4 बंशीलाल [illegible] शंकर लाल को मूल वाद प्रकरण संख्या 41/2009 में अन्तिम निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया ज[illegible] है कि अप्रार्थी क्रम 1, 2 व 4 विवादित आराजी खसरा नम्बर 449 रकबा 0.54 हेक्टर ग्राम झुसावाडा को रहन, विक्र[illegible] दान, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित नही करे ना खुर्द–बुर्द करे तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बन[illegible] जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2013 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल वर्मा) आर.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जिला–उदयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा